न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व अपील सख्या– 59 सन् 2012

1. श्री भंवर पुत्र श्री नजीर
2. श्री शकरू पुत्र श्री नजीर
3. श्री डाऊ पुत्र श्री नजीर
4. श्री शौकिन पुत्र श्री नजीर
5. श्री मती सेना पत्नी श्री रणजीत
   जरिये माता सरंक्षक श्रीमती सेना पत्नी श्री रणजीत
6. श्री फिरोज पुत्र श्री रणजीत
   समस्त जाति मेहरात निवासीयान– ग्राम जसवन्तपुरा (खरवा) तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. श्री जोरा पुत्र स्वर्गीय श्री बुधा जाति मेहरात निवासी– ग्राम जसवन्तपुरा (खरवा) तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)
2. श्री रामा पुत्र श्री काना
3. श्री मंगला पुत्र श्री काना
4. श्री शंकर उर्फ पप्पू पुत्र श्री काना
5. श्री ग्रलाब पुत्र श्री भूरा
   समस्त जाति रावत निवासी जसवन्तपुरा (लहरी) खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर
6. श्रीमान उपपंजीयक एंव तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री सलीम बाबू
वकील वादीगण उप0

निर्णय

दिनांकः–23.11.2016

इस वाद पत्र मे वादीगण ने सारांशत निवेदन किया है कि ग्राम जसवन्तपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित आराजियात ख0न0 6344, 6347 व 6355 प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 से 5 के पूर्वजो की संयुक्त खातेदारी की भूमिया थी। प्रतिवादी स0 1 के पिता स्व0 बुद्वा पुत्र अन्ना से इन्हे वादीगण के पिता/ससुर/दादा स्व0 श्री नजीर पुत्र जोधा ने दिंनाक 31.05.1978 व 31.01.1979 को बिल एवज प्रतिफल खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। और अपने जीवन पर्यन्त इन भूमियो पर काबिज काश्त रहे उनकी मृत्यू के बाद से वादीगण काबिज काश्त चले आते है। जिसका ना0क0 स्व0 नजीर जी के नाम नही किया जा सका इसलिए ये भूमिया स्व0 बुद्वा के नाम ही लगी रही उनकी मृत्यू के बाद से प्रतिवादी स0 1 जोरा के नाम चली आ रही है। जिसकी जानकारी ऋण हेतु राजस्व अभिलेख की नकले निकलवाने पर हुई। प्रतिवादी स0 1 की नियत बद हो गई है। और वह विवादित आराजियात को दीगर व्यक्तियो को बेचने एंव भारग्रस्त करने पर आमदा है। यदि वह अपने मकसद मे सफल हो गया तो वादीगण के हितो पर कुठाराघात होगा। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की भूमि मे दखलदांजी ,खूर्द बूर्द करने रहन बेचान आदि से निषेध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादीगण सख्या 1 से 5 के बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहने से दिंनाक 16.11.2012 को एक तरफा कार्यवाही की गई तथा शहादत वादी तलब की गई। शपथ पत्र शहादत वादी मे वादी भंवर ने वाद कथन दोहराते हुए बेचाननामा दिंनाक 31.05.1978 पर प्रदर्श 1 तथा 31.01.1979 पर प्रदर्श 2 तथा जमाबंदी संवत् 2065–68 पर प्रदर्श 3 लगाये है भवंर ने जिसकी पुष्ठी मुख्य परीक्षण मे की है।

एक तरफा बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई। उसके तर्क रहे कि विवादित आराजी ख0न0 6344 मनबटनी से प्रतिवादी स0 1 के पिता बुद्वा वल्द अन्ना के हिस्से आई हुई थी। और उसने इसके सम्पूर्ण रक्बे को मुझे दिनांक 31.01.1979 को विक्रय कर कब्जा भूमि संभला दिया था। तब से मै ही तन्हा रूप से काबिज काश्त चला आता हू। ख0न0 6355 स्व0 बुद्वा की तन्हा खातेदारी मे था। तथा चाह न0 6347 मे 1/3 हिस्सा था। वर्तमान जमाबंदी मे हिस्सा 1/4 गलत दर्ज है। मुझे ख0न0 6344 व 6355 के सम्पूर्ण रकबे तथा 6347 चाह के 1/3 हिस्से मे खातेदार घोषित किया जावे।

मैने पत्रावली का अद्वोपांत अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम जसवन्तपुरा लहरी की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता स0 28 मे चाह न0 6347 मे जहा वादी 1/3 हिस्सा खरीदना बताता है।जबकि प्रतिवादी स0 1 के पिता स्व0 बुद्वा का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार 6344 की सम्पूर्ण आराजी खरीदना विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1978 मे दर्शाया गया है जबकि इसमे विक्रेता स्व0 बुद्वा का 1/3 हिस्सा है। ख0न0 6355 मात्र ही विक्रेता बुद्वा की खातेदारी मे दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता स0 28 व 26 मे जिनमे क्रमशः ख0न0 6347 चाह तथा 6344 रक्बा 1–14–00 बीघा मे प्रतिवादी स0 1 जोरा की माता श्री मति राजी बेवा जोंरा तथा प्रतिवादी स0 5 गुलाब की बहने धापू व गंगा पुत्रिया भूरा जी सहखातेदार है उन्हे वाद मे पक्षकार नही बनाया है एसी स्थिति मे वाद आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे चलने योग्य नही पाया जाता।

अतः वादीगण द्वारा ग्राम जसवंतपुरा लहरी पटवार क्षेत्र खरवा प्रथम स्थित आराजी ख0न0 6344, 6347 व 6355 मे घोषणा अधिकार खातेदारी के लिए लाया गया वाद आवश्यक पक्षकारान के अभाव मे सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 23.11.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: